

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/2393

दिनांक 05/08/24

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भैराराम वगैरा	बनाम	चूनाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।


राजस्व आवेदन सं. 404/2023

दिनांक : 05.08.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आंटिया के मौजा जाटो की बस्ती के खेत खसरा सं. 113, 114, 121, 153 रकबा क्रमशः 00.14, 164.03, 36.08, 33.19 बीघा एवं मौजा जूना लखवारा के खेत खसरा सं. 176 रकबा 121.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किमी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/2394 to 97


प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण भैराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चूनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/घौरीमन्ना/धनाऊ/मेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 05/08/2024



(मूरजभान विश्वा) 
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन